राजस्व वाद संख्या 414/2021
राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह आदि
निर्णय दिनांक 15.03.2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 414/2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र छतुसिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. करणसिंह पुत्र छतुसिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. महावीरसिंह पुत्र छतुसिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. रतनकंवर पत्नि मंगेजसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र छतुसिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
6. विजयसिंह पुत्र छतुसिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
7. शेरसिंह पुत्र छतुसिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत निवासी पीपली तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक –

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।

(ख) अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये तामील कुनिन्दा से करवायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 01,02,03,05,06 की और से श्री सुरेन्द्र सिंह तंवर एड0 ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तामील चस्पानगी एवं डूंडी पिटवायी जाकर करवायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 की और से कोई जवाब पेश नही किया गया, जवाब बन्द कर एक पक्षीये कार्यवाही अमल मे लायी गयी कब्जेधारीगण 1.बिहारीलाल शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा 2. विश्वनाथ शर्मा पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा 3.सुरेश शर्मा पुत्र लक्ष्माणराम शर्मा 4.दीनदयाल शर्मा पुत्र किशोरीलाल शर्मा 5. मोहित पुत्र बाबुलाल शर्मा 6. प्रभुदयाल शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा 7. रतनलाल शर्मा पुत्र ईश्वरदास शर्मा 8. फुलकुमार शर्मा पुत्र ईश्वरदास शर्मा 9.सुभाष शर्मा पुत्र बृजलाल शर्मा 10. अमीत कुमार पुत्र रघुवीर 11. छोटेलाल शर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा 12. कुन्दनलाल शर्मा पुत्र सुगनाराम शर्मा 13. धर्मपाल शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा 14. हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा 15. राजेश शर्मा पुत्र हनुमान प्रसा शर्मा 16 निरंजन शर्मा पुत्र भगवानाराम शर्मा 17. हरीश कुमार शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा 18. कैलाश शर्मा पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा 19. मुरारी पुत्र बजरंगलाल शर्मा 20. कृष्णा पत्नी जवाहरलाल शर्मा 21. जगदीश प्रसाद पुत्र बृजलाल शर्मा 22 होशियार सिंह पुत्र भगवानाराम समस्त जाति ब्राहमण निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O-1-R-10 CPC पेश की जिसकी नकल राज पैरोकार को दिलायी गई । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O-1-R-10 CPC स्वीकार किया गया। 1.बिहारीलाल शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा 2. विश्वनाथ शर्मा पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा 3.सुरेश शर्मा पुत्र लक्ष्माणराम शर्मा 4.दीनदयाल शर्मा पुत्र किशोरीलाल शर्मा 5. मोहित पुत्र बाबुलाल शर्मा 6. प्रभुदयाल शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा 7. रतनलाल शर्मा पुत्र ईश्वरदास शर्मा 8. फुलकुमार शर्मा पुत्र ईश्वरदास शर्मा 9.सुभाष शर्मा पुत्र बृजलाल शर्मा 10.

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

अजीत कुमार पुत्र रघुवीर 11. छोटेलाल शर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा 12. कृष्णगोपाल शर्मा पुत्र सुगनाराम शर्मा 13. धर्मपाल शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा 14. हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा 15. राजेश शर्मा पुत्र हनुमान प्रसा शर्मा 16 निरंजन शर्मा पुत्र भगवानाराम शर्मा 17. हरीश कुमार शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा 18. कैलाश शर्मा पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा 19. मुरारी पुत्र बजरंगलाल शर्मा 20. कृष्णा पत्नी जवाहरलाल शर्मा 21. जगदीश प्रसाद पुत्र बृजलाल शर्मा 22 होशियार सिंह पुत्र भगवानाराम समस्त जाति ब्राह्मण निवासी पीपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू ने जवाब पेश किया जिसकी नकल राज पैरोकार को दिलायी गई जवाब में बताया की विगत 80 वर्षों से भी अधिक समय से खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 है० तथा ख०न० 394 रकबा 1.30 है० भूमि बतौर कृषि भूमि उपयोग-उपभोग नहीं हो रहा है बल्कि पूर्णरूप से आबादी बसी हुई है अपने बिजली पानी के बिल व मौके की फोटो पेश की गई तथा बताया की उसके आस पास के खसरान भूमि में भी आबादी विकसित हो चुकी है। वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यों के लिए काम आ रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा, फर्द मौका। बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–ः आदेशः–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 है0 तथा ख0न0 394 रकबा 1.30 है0 स्थित ग्राम पिपली तहसील सूरजगढ़ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, फर्द मौका, प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है की खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 है0 तथा ख0न0 394 रकबा 1.30 है0 पर सघंन आबादी बसी हुई । वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यों के लिए काम आ रहा है। अतः उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 177 के तहत कार्यवाही निर्णीत किया जाना विधिसम्मत है। राज पैरोकार ने मौखिक बहस कर संदर्भित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(1) के तहत सिवायचक घोषित किया जाकर, खातेदार/कब्जेदार/अतंरक/अंतरिति के बेदखल करने का निवेदन किया। अतः उक्तानुसार गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ को संदर्भित भूमि ख0न0 393 रकबा 0.25 है0 तथा ख0न0 394 रकबा 1.30 है0 स्थित ग्राम पिपली को राजहक में सिवायचक दर्ज रजिस्टर किए जाने के निर्देश दिए जाते है व

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

10

साथ ही अप्रार्थीगण को न्यायसंगत विधिपूर्ण समुचित अवसर देते हुए आगामी कार्यवाही अमल में लाए जाने के निर्देश दिए जाते है।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 15-3-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:- 414/2021
राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह आदि
निर्णय दिनांक -15.03.2022

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-
राजस्व वाद सं.- 414/2021

दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक :-15.03.2022

राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से सरकारी पैरोकार व प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 15.03.2022 को दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

-:: आदेश::-

"न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 है0 तथा ख0न0 394 रकबा 1.30 है0 स्थित ग्राम पिपली तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट, कई मौका, प्रतिवादीगण/कब्जेधारियों के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है की खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 है0 तथा ख0न0 394 रकबा 1.30 है0 पर सघंन आबादी बसी हुई । वर्तमान में उक्त खसरा अकृषि कार्यों के लिए काम आ रहा है। अतः उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 177 के तहत कार्यवाही निर्णीत किया जाना विधिसम्मत है। राज पैरोकार ने मौखिक बहस कर संदर्भित भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178(1) के तहत सिवायचक घोषित किया जाकर खातेदार/कब्जेदार/अंतरक/अंतरिति के बेदखल करने का निवेदन किया। अतः उक्तानुसार गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ को संदर्भित भूमि ख0न0 393 रकबा 0.25 है0 तथा ख0न0 394 रकबा 1.30 है0 स्थित ग्राम पिपली को राजहक में सिवायचक दर्ज रजिस्टर किए जाने के निर्देश दिए जाते है व साथ ही अप्रार्थीगण को न्यायसंगत विधिपूर्ण समुचित अवसर देते हुए आगामी कार्यवाही अमल में लाए जाने के निर्देश दिए जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-3-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ